बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

संख्या–1प/स1–601/2014 (पार्ट–2)/8645/पं०रा०पटना, दिनांक 10/7/25

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, "पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2018" का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**– (1) यह नियमावली "**पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2025**" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2018 के नियम–2 के उपनियम (ii) का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–2 के उपनियम (ii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

"क्षेत्रीय कार्यालय" से अभिप्रेत है पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज का कार्यालय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान का कार्यालय, मुखिया–सरपंच प्रशिक्षण संस्थान का कार्यालय, पंचायत राज अभियंत्रण संगठन का कार्यालय, कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति का कार्यालय एवं ग्राम पंचायत का कार्यालय।

3. **पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2018 के नियम–4 के उपनियम –(1) का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–4 के उपनियम–(1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

"(1) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और 15% पद कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के वैसे कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों से, बिना किसी परीक्षा के, वरीयता क्रम में, भरे जायेंगे;

ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की, सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मापदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी;

कृ०पृ०उ०

परन्तु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को उस कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जायेगी;

परन्तु यह भी कि न्यूनतम इटरमीडिएट योग्यताधारी सुपात्र कार्यालय परिचारी अनुपलब्ध रहने पर प्रथम समव्यवहार में शतप्रतिशत रिक्ति सीधी भर्ती से भरी जा सकेगी।"

4. **पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2018 के नियम–08 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–08 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा पर एक वर्षों के लिए होगी और परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर लिखित रूप से अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों के आधार पर इसका विस्तार एक और वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा;

सीधी भर्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा/मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवक भी 01(एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01(एक) और वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

5. **पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2018 के नियम–10 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–10 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"परिवीक्षा अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति के पश्चात् परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी दिशा–निर्देश के आलोक में समय–समय पर यथा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने, हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण परीक्षा एवं यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् सम्पुष्ट की जाएगी"।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10/…/25

(मनोज कुमार)
सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक–1प/स1–601/2014(पार्ट–2)/8645/पं०रा० पटना, दिनांक 10/7/25

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु सी०डी० के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

10/7/25
(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक–1प/स1–601/2014(पार्ट–2)/8645/पं०रा० पटना, दिनांक 10/7/25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/25
(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक–1प/स1–601/2014(पार्ट–2)/8645/पं०रा० पटना, दिनांक 10/7/25

प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/सभी कार्यपालक पदाधिकरी, पंचायत समिति/सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/25
(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक–1प/स1–601/2014(पार्ट–2)/8645/पं०रा० पटना, दिनांक 10/7/25

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

10/7/25
(मनोज कुमार)
सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक–1प/स1–601/2014(पार्ट–2)/8645/पं०रा० पटना, दिनांक 10/7/25

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

10/7/25

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक–1प/स1–601/2014(पार्ट–2)/8645/पं०रा० पटना, दिनांक 10/7/25

प्रतिलिपिः–आई०टी०प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

10/7/25

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक–1प/स1–601/2014(पार्ट–2)/8645/पं०रा० पटना, दिनांक 10/7/25

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/25

(मनोज कुमार)
सचिव